The Gazette of MRIBITOT



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2001/ज्येष्ठ 4, 1923

No. 3421

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2001/JYAISTHA 4, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2001

का.आ. 465(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को किलोमीटर 393 से किलोमीटर 449 (सिकन्दरा—अकबरपुर—बारा खण्ड) सौंपती हैं।

[फा. सं. एनएच-14012/1/2000-पीएल]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सङक विकास) और अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2001

S.O. 465(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts National Highway No. 2 from Km. 393 to Km. 449 (Sikandra—Akbarpur—Bara section) to the National Highways Authority of India.

[F. No. NH-14012/1/2000-PL]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.